



कार्यालय बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली।

पता-सेक्टर-2, रामगंगानगर योजना, बरेली (उ०प्र०)

Website : www.bdainfo.org, Email : bdabareilly@yahoo.com, blyda@up.nic.in

पत्रांक :- 371/का०ब०वि०प्रा०/2026-27

दिनांक - 01.06.2026

संशोधित सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बरेली विकास प्राधिकरण की रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में कॉमर्शियल काम्प्लैक्स, कॉमर्शियल कम आफिस काम्प्लैक्स में शोरूम / आफिस, स्कूल भूखण्डों / व्यवसायिक भूखण्डों / दुकान भूखण्डों तथा आवासीय भूखण्डों का आवंटन निविदा सह - नीलामी पद्धति के माध्यम से किये जाने हेतु पंजीकरण दिनांक 01.06.2026 से 22.06.2026 तक आमंत्रित किये गए हैं। इस सम्बन्ध में विज्ञप्ति दिनांक 30.05.2026 को प्रकाशित कराई गई जिसमें निम्नवत् संशोधन किया गया है जिसका विवरण निम्नवत् है

क्र० सं०	सेक्टर	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग०मी०)	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	दर प्रति वर्ग मीटर रू०	धरोहर धनराशि (05 प्रतिशत)
11	रामगंगानगर सेक्टर-06	व्यवसायिक भूखण्ड	2887.73	1	76300	11016690

अन्य जानकारी प्राधिकरण की वेबसाइट www.bdainfo.org से प्राप्त की जा सकती है।

उपाध्यक्ष



रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में आफिस काम्प्लेक्स (कॉमर्शियल), कॉमर्शियल कम ऑफिस काम्प्लेक्स में शोरूम/आफिस एवं स्कूल भूखण्ड/व्यवसायिक भूखण्डों, ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्ड व दुकान भूखण्डों तथा आवासीय भूखण्डों को निविदा सह-नीलामी से प्राप्त करने का सुनहरा अवसर ।

पंजीकरण 01.06.2026 से 22.06.2026 तक

नीलामी 23.06.2026 समय दोपहर 12 बजे से

आवंटन हेतु रिक्त सम्पत्तियों का विवरण निम्नवत् हैं :-

क्रम सं०	सेक्टर	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्गमी० में)	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	दर प्रति वर्ग मीटर रू०	धरोहर धनराशि (5 प्रतिशत)
1	सेक्टर-5 कामर्शियल काम्प्लेक्स ब्लॉक-ए में निर्मित	शोरूम (भूतल)	147 से 151 तक	09	121700.00	918835.00
		आफिस (प्रथम तल)	101 से 112	10	75050.00	420280.00
2	सेक्टर-5 कामर्शियल काम्प्लेक्स ब्लॉक-सी में निर्मित	शोरूम (भूतल)	72.00	3	121700.00	438120.00
		आफिस (प्रथम तल)	72.00	8	75050.00	270180.00
3	8-शिप्रा इंकलेव	दुकान भूखण्ड सं० 8,11,11ए,12,,	35.00	4	76300.00	133525.00
		हाईस्कूल भूखण्ड	2216.34	1	38150.00	4227669.00
		नर्सिंग होम, जी-1, जी-3,	1000.00	2	57225.00	2861250.00
		हेल्थ सेन्टर, जी-2	1000.00	1	57225.00	2861250.00
4	10-सरयू इंकलेव	स्कूल भूखण्ड	2154.84	1	38150.00	4110358.00
5	11 पंचवटी इंकलेव	व्यवसायिक भूखण्ड सं० 15 से 26	200.00	12	76300.00	763000.00
		व्यवसायिक भूखण्ड सं० 2,3,7,11,12,13,14	150.00	7	76300.00	572250.00
		व्यवसायिक भूखण्ड सं० 1,2,3,4,5	112.50	5	76300.00	429188.00
		व्यवसायिक भूखण्ड सं० 24 से 38, 42 से 49, 52,53,54,55	60.00	27	76300.00	228900.00
6	12 इन्द्रप्रस्थ इंकलेव	व्यवसायिक भूखण्ड सं०-पी०यू०-7 से 12	450.00	6	57225.00	1287563.00
		ऑफिस कम गेस्ट हाउस कम ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड	10442.30	1	57225.00	29878031.00
		ऑफिस कम गेस्ट हाउस कम ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड	10233.49	1	57225.00	29280574.00
7	1बी-ग्रेटर बरेली	व्यवसायिक भूखण्ड सी०पी०-1/3 से सी०पी०-1/8 तक	532.45	6	65000.00	1730463.00
8	2ए-ग्रेटर बरेली आवासीय योजना	आवासीय भूखण्ड सं०-23,42,110/ए,112,113,120	200.00	6	32500.00	650000.00
		आवासीय भूखण्ड सं०-37,57,59,64,65	162.00	5	32500.00	526500.00
		आवासीय भूखण्ड सं०-249,262	112.50	2	32500.00	365625.00
		व्यवसायिक भूखण्ड सं०-सी०पी०-1 व 3	460.00	2	65000.00	1495000.00
9	4 ग्रेटर बरेली आवासीय योजना	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक PSP भूखण्ड-1	7083.00	1	48750.00	17264813.00
		व्यवसायिक भूखण्ड सी०पी०-1/5,6,8 से सी०पी०-1/20 तक	450.00	15	65000.00	1462500.00
		व्यवसायिक भूखण्ड बी	4106.62	1	65000.00	13346515.00
		व्यवसायिक भूखण्ड सी०पी०-2/1 से सी०पी०-2/9 तक व सी०पी०-2/12,13,14	300.00	12	65000.00	975000.00
		व्यवसायिक भूखण्ड सी०पी०-4/1 से सी०पी०-4/6 तक	275.00	6	65000	893750.00
10	9 ग्रेटर बरेली आवासीय योजना	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड - 1	14794.72	1	48750.00	36062130.00
		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड - 2	17101.62	1	48750.00	41685199.00
		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड - 3	17101.62	1	48750.00	41685199.00
		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड - 4	19165.79	1	48750.00	46716614.00
		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड - 5, 6, 7, 8	6000.00	4	48750.00	14625000.00

डी०डी० पुरम स्थिति पुराना प्राधिकरण कार्यालय भवन को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने का विवरण ।

क्र०सं०	तल की स्थिति	तल का क्षेत्रफल वर्गमी० में	दर प्रति वर्गमी० में	धरोहर धनराशि 5 प्रतिशत
1	प्रथम तल	709.32	79250	2810681
2	द्वितीय तल	283.38	79250	1122894
3	तृतीय तल	709.32	79250	2810681

रामगंगा नगर आवासीय योजना के सेक्टर-02 में ऑफिस काम्प्लेक्स (कॉमर्शियल) का विवरण

क्र० सं०	विवरण	विक्रय योग्य क्षेत्रफल कवर्ड एरिया (वर्गमी०) में	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित दर (वर्गमी०) में	कुल मूल्य	धरोहर धनराशि (5 प्रतिशत)
1	रामगंगा नगर आवासीय योजना सेक्टर-02 कॉमर्शियल काम्प्लेक्स	9834.37	कॉमर्शियल काम्प्लेक्स	107200	1054244464	52712224

आवेदन हेतु पंजीकरण पुस्तिका रू. 590.00 (जी.एस.टी. सहित) का भुगतान कर पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजेन्द्र नगर, बरेली एवं बरेली विकास प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे ।

रामगंगा नगर आवासीय योजना, सेक्टर-2, बरेली



बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

द्वारा



व्यवसायिक, आवासीय सम्पत्ति खरीदने का सुनहरा अवसर

रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में कॉमर्शियल काम्प्लैक्स, कॉमर्शियल कम ऑफिस काम्प्लैक्स में शोरूम/आफिस एवं स्कूल भूखण्ड, व्यवसायिक भूखण्डों, ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्डों व दुकान भूखण्डों तथा आवासीय भूखण्डों का निविदा-सह-नीलामी पद्धति के माध्यम से आवंटन

नियम व शर्तों की विवरण पुस्तिका

पंजीकरण : 01.06.2026 से 22.06.2026 तक

निविदा तिथि व समय – 01.06.2026 से 22.06.2026 दोपहर 12:00 बजे तक

नीलामी तिथि व समय – 23.06.2026 दोपहर 12:00 बजे से



आवेदन मिलने का स्थान : पंजाब नेशनल बैंक, शाखा राजेन्द्र नगर, बरेली।

ऑनलाइन आवेदन हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.bdainfo.org पर आवेदन किया जा सकता है।

UPRERAPRJ880225/12/2024

UPRERAPRJ502872/12/2024

UPRERAPRJ828895

UPRERAPRJ13358

UPRERAPRJ517600

UPRERAPRJ918501

UPRERAPRJ135764

UPRERAPRJ745000

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली



प्राधिकरण की उपलब्धियाँ

- ❖ शहर के सुनियोजित विकास के तहत यातायात व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित रहे, इस हेतु निम्न मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है।
 1. इन्वर्टिस युनीवर्सिटी से सैटेलाईट बस स्टैण्ड तक 6 लेन सड़क चौड़ीकरण।
 2. सैटेलाईट बस स्टैण्ड से एयरपोर्ट तक 6 लेन सड़क चौड़ीकरण।
 3. डेलापीर से एयरपोर्ट तक 6 लेन सड़क चौड़ीकरण।
 4. बदायूँ रोड चौड़ीकरण व पथ प्रकाश व्यवस्था।
 5. एकसीक्यूटिव क्लब मार्ग के चौड़ीकरण सहित पथ प्रकाश व्यवस्था।
 6. स्वयंवर बारात घर से रामजानकी मार्ग तक तथा के.के. हॉस्पिटल से डेलापीर चौराहे तक 4 लेन का निर्माण कार्य।
 7. धर्मकाँटे चौराहे से मूर्ति नर्सिंग होम तक सड़क चौड़ीकरण का निर्माण कार्य।
- ❖ शहर के मुख्य प्रवेश मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण।
- ❖ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रामगंगा नगर योजना में गेट बन्द कॉलोनियों का निर्माण व विकास।
- ❖ शहर के भूखण्डों की अत्यधिक माँग के दृष्टिगत ग्रेटर बरेली आवासीय योजना का विकास।
- ❖ बदायूँ मार्ग पर गम्भीर जल भराव की समस्या के दृष्टिगत नालों का निर्माण।
- ❖ प्राधिकरण शत-प्रतिशत ऋण मुक्त।
- ❖ रामगंगा नगर योजना में निर्माणाधीन अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स।
- ❖ रामगंगा नगर योजना में 33,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में निर्माणाधीन रामायण वाटिका।
- ❖ सभी ट्रांसपोर्टों को उच्च स्तरीय अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए ट्रांसपोर्ट नगर का उच्चीकरण का कार्य।



मनिकन्दन ए०, आई.ए.एस.
उपाध्यक्ष
बरेली विकास प्राधिकरण



भूपेन्द्र एस. चौधरी, आई.ए.एस.
अध्यक्ष
बरेली विकास प्राधिकरण

1. विवरण पुस्तिका एवं निविदा बोली प्रपत्रों की बिक्री व जमा

- 1.1 रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में आफिस काम्प्लैक्स, कॉमर्शियल कम ऑफिस काम्प्लैक्स में शोरूम/आफिस एवं स्कूल भूखण्ड, व्यवसायिक भूखण्डों, गुप हाउसिंग भूखण्डों, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्डों व दुकान भूखण्डों तथा आवासीय भूखण्डों का निविदा-सह-नीलामी से विक्रय किये जाने हेतु नियम व शर्तों का विवरण/पंजीकरण पुस्तिका आवेदन फार्म प्राधिकरण के पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजेन्द्र नगर बरेली से रु0-590.00 जी०एस०टी० सहित जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं एवं बरेली विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.bdainfo.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं तथा डाउनलोड किये गए निविदा प्रपत्र के लिए शुल्क 590.00 का भुगतान पृथक से आवेदन पत्र के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य है।
- 1.2 निविदा दाता नीलामी की तिथि से एक दिन पूर्व तक आवेदक फार्म वांछित धरोहर धनराशि सहित पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजेन्द्र नगर बरेली में जमा कर सकता है तथा फार्म जमा करने के उपरान्त अगले कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय से टोकन प्राप्त कर सकता है। प्राधिकरण से टोकन प्राप्त करने के उपरान्त ही नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करना होगा तथा नीलामी की तिथि को नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन-पत्र जमा कर नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकता है।

2. सम्पत्ति का विवरण

- 2.1 कामर्शियल काम्प्लैक्स, कॉमर्शियल कम ऑफिस काम्प्लैक्स में शोरूम/आफिस एवं स्कूल भूखण्ड, व्यवसायिक भूखण्डों, गुप हाउसिंग भूखण्डों, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्डों व दुकान भूखण्डों तथा आवासीय भूखण्डों का विवरण क्षेत्रफल न्यूनतम आरक्षित दर, धरोहर राशि, नीलामी की तिथि संलग्नक-1 में उल्लिखित है।
- 2.2 भूखण्डों के लिए अधिकतम भू-आच्छादन, सेट बैंक ऊँचाई अनुमन्य एफ०ए०आर०, विभिन्न तलों पर अनुमन्य उपयोग, बेसमेन्ट आदि सम्बन्धित प्राविधान बरेली महायोजना 2031 व बरेली विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 (यथा संशोधित) तथा समय-समय पर जारी शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होंगे।

3. अर्हता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- 3.3 फर्म/साझेदारी फर्म/सोसाइटी (फर्म सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- 3.4 प्राइवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी (कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- 3.5 व्यक्तिगत स्वामी।
- 3.6 रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी (को-आपरेटिव सोसायटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत)।
- 3.7 ट्रस्ट (पंजीकृत/अपंजीकृत)।
- 3.8 एच०यू०एफ०।

4. निविदा/बोली-प्रपत्र जमा करने व खोले जाने की प्रक्रिया

- 4.1 मोहरबन्द निविदायें स्वहस्ताक्षरित नियम व शर्तों के साथ संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में रखे निविदा बॉक्स में डाली जायेगी। निविदायें निर्धारित प्रारूप संलग्नक-2 पर प्रस्तुत की जायेगी तथा इनके साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/ बैंकर्स चैक (जो कि संलग्नक-1 के अनुसार है), सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा। प्रत्येक सम्पत्ति हेतु अलग अलग

कम से कम 3 प्रतिद्वंदी निविदायें अनिवार्य है।

- 4.2 आवेदक नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के अनुसार आवेदन पत्र के अनुसार आवेदन करना होगा तथा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/ बैंकर्स चैक (जो कि संलग्नक-1 के अनुसार है), सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में देय हो, संलग्न करना होगा।
- 4.3 योजना का नाम एवं आवेदित भूखण्ड का विवरण लिफाफे के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।
- 4.4 नीलामी का आयोजन संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि एवं समय पर किया जायेगा।
- 4.5 जिन्होंने जमानत/धरोहर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर / बैंकर्स चैक मूल रूप में "स्वहस्ताक्षरित नियम व शर्तों के साथ अपनी निविदा के साथ जमा किया है, के द्वारा प्रारूप-1 में निर्धारित समय से पूर्व नीलामी तिथि पर नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के साथ जमा धरोहर राशि के ड्राफ्ट/पे-आर्डर/ बैंकर्स चैक की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
- 4.6 जिन्होंने मोहरबन्द निविदायें प्रस्तुत नहीं की है, किन्तु सीधे नीलामी में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित समय से पूर्व नीलामी तिथि पर नीलामी से एक दिन पूर्व निर्धारित प्रारूप संलग्नक-3 के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/ बैंकर्स चैक्स मूल रूप में संलग्न करते हुए प्रस्तुत करना होगा।
- 4.7 यदि आवेदनकर्ता, फर्म/कम्पनी आदि का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो आवेदनकर्ता को अपनी श्रेणी (व्यक्तिगत/व्यक्तिगत स्वामी, प्राईवेट/पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, फर्म साझेदारी, रजिस्टर्ड सोसायटी, रजिस्टर्ड को-आपरेटिव सोसायटी, ट्रस्ट, पंजीकृत कन्सोर्टियम (Consortium) फर्म एवं एच०यू०एफ० या अन्य) के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन व मैमोरेण्डम आदि से सम्बन्धित आवश्यक कागजात आदि भी निविदा आवेदन पत्र तथा नीलामी आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।
- 4.8 निविदा-सह-खुली नीलामी में आवेदकों द्वारा अपनी दरें रूपये प्रति वर्ग मीटर में दी जायेगी।
- 4.9 एक बार बोली बोलने के पश्चात् उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा। इसी प्रकार अपनी निविदा डालने के पश्चात् निविदा के माध्यम से दी गयी दर को वापस नहीं लिया जा सकेगा। निविदा व बोली बोलने के लिए 3 प्रतिद्वंदी तथा प्रत्येक प्रतिद्वंदी द्वारा कम से कम तीन निविदा/बोलियां बोलना आवश्यक है।
- 4.10 निविदा-सह-खुली नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति/फर्म को नीलामी के समय प्रमाण-पत्र (संलग्नक-5) देना होगा कि प्रश्नगत नीलामी में भाग लेने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ उसके व्यवसायिक सम्बन्ध नहीं है।

5. आवंटन प्रक्रिया

- 5.1 निविदा तथा नीलामी दोनों में प्राप्त सर्वोच्च दर पर आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। सर्वप्रथम खुली नीलामी की जायेगी, इसके उपरान्त निविदा खोली जायेगी।
- 5.2 नीलामी समाप्त होने के उपरान्त सर्वोच्च निविदा/बोली दाता की प्रतिभूति धनराशि को छोड़कर शेष आवेदकों की धनराशि वापस कर दी जायेगी। सर्वोच्च निविदा/बोली दाता की प्रतिभूति धनराशि भूखण्ड के मूल्य में समायोजित कर ली जायेगी।
- 5.3 नीलामी कराने वाले अधिकारी नीलामी समाप्त होने, मोहरबन्द निविदा खोलने के उपरान्त अपनी संस्तुति गुण-दोष के आधार पर उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे। उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को निविदा/बोली स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा व उच्चतम् निविदा अथवा बोली को भी बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं।

इनका निर्णय सभी पक्षों को मान्य होगा एवं इसे किसी माननीय न्यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी।

6. भुगतान पद्धति (व्यवसायिक)

- 6.1 उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 01 माह में मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि (जमा धनरोहर राशि को समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
- 6.ए डाउन पेमेन्ट पद्धति (कोड-01)
 - 6.2 डाउन पेमेन्ट पद्धति के अन्तर्गत रू0-50.00 लाख तक के मूल्य की सम्पत्तियों हेतु आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह की अवधि के अन्दर तथा रू0-50.00 लाख से अधिक की सम्पत्तियों हेतु आवंटन पत्र जारी होने के दिनांक से 03 माह की अवधि के अन्दर 100 प्रतिशत भुगतान करने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 - 6.3 यदि आवंटी बिन्दु सं0-6.2 के अधीन नियत समय अवधि के अन्तर्गत समस्त धनराशि जमा करने में असमर्थ रहता है तो डाउन पेमेन्ट पद्धति के अन्तर्गत अवशेष धनराशि 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित निर्धारित शैड्यूल के अनुसार जमा करेगा।
 - 6.4 यदि आवंटी बिन्दु सं0-6.3 के अधीन डाउन पेमेन्ट पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित समयवधि में सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं कर पाता है तो आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 6.बी किशतों में भुगतान (कोड-02)
 - 6.5 प्राधिकरण की 87वीं बोर्ड बैठक में लिए गये निर्णय के क्रम में 5 करोड़ से अधिक मूल्य व्यवसायिक, संस्थागत, सामुदायिक सुविधाएं एवं ग्रुप हाउसिंग सम्पत्तियों के लिए अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 16 समान तिमाही किशतों में 11 प्रतिशत ब्याज सहित किशत का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित देय तिथि तक किशत की धनराशि जमा न करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज के साथ अर्थात् 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु द्वितीय किशत से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 - 6.6 5 करोड़ से कम मूल्य की सम्पत्तियों के लिए अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि 06 समान तिमाही किशतों में 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित किशत का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित देय तिथि तक किशत की धनराशि जमा न करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त दण्ड ब्याज के साथ अर्थात् 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, किन्तु द्वितीय किशत से पूर्व जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
 - 6.7 प्रथम किशत की राशि द्वितीय किशत के देय होने पर पूर्व ब्याज सहित जमा न करने पर आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा और आवंटन धनराशि जब्त कर यदि अन्य कोई धनराशि जमा है तो मात्र उसे ही बिना ब्याज के वापस किया जा सकेगा।
 - 6.8 आवंटी द्वारा जमा की गई धनराशि में से पहले ब्याज, फिर फ्री-होल्ड/लीज़ होल्ड फिर किशत या अन्य देय में समायोजित की जायेगी। इस सम्बन्ध में आवंटी का कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
 - 6.9 व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु आवेदक एक या एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ आवेदित भूखण्ड के सापेक्ष संलग्नक-1 में अंकित धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/ बैंकर्स चैक (जो कि संलग्नक-1 के अनुसार है), सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।
- 6.सी अन्य बिन्दु

- 6.10 देय धनराशि का भुगतान बैंकर्स चैक/आर0टी0जी0एस0/बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर के माध्यम से करने की दशा में धनराशि का प्राधिकरण के खाते में अन्तरण की तिथि को ही भुगतान की तिथि माना जायेगा। यदि देय तिथि के दिन बैंक में अवकाश होता है, तो आवंटी यह सुनिश्चित करेगा कि वह इससे पूर्व ही धनराशि जमा करा दे। एकमुश्त धनराशि जमा करने पर तत्समय जारी शासनादेश के क्रम में छूट देय होगी।
- 6.11 कामर्शियल कम आफिस काम्पलैक्स में शोरूम/दुकान/आफिस, पेट्रोल पम्प भूखण्ड, हॉस्पिटल भूखण्ड एवं व्यवसायिक भूखण्ड तथा आवासीय भूखण्डों के क्षेत्रफल में स्थलीय स्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। उक्त सम्पत्तियों का अन्तिम मूल्य वास्तविक मापों के आधार पर आंकलित क्षेत्रफल पर निर्धारित किया जायेगा। यदि आवंटित सम्पत्ति का क्षेत्रफल, तालिका में उल्लिखित स्टैण्डर्ड क्षेत्रफल से घटता अथवा बढ़ता है तो नियमानुसार संशोधित मूल्य देय होगा।
- 6.12 आवंटित परिसम्पत्ति के क्षेत्रफल के अन्तिम सत्यापन में यदि कोई अन्तर हो तो उसे आवंटी स्वीकार करेगा।
- 6.13 आवंटित सम्पत्ति के क्षेत्रफल में वृद्धि होने की दशा में बढ़े हुए क्षेत्रफल की गणना प्राप्त बोली की दर से की जायेगी, तथा 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की दशा में 10 प्रतिशत से अधिक क्षेत्रफल की दर वर्तमान आरक्षित दर एवं बोली दर में अधिकतम होगी के आधार पर की जायेगी।
- 6.14 यदि मा0 न्यायालय द्वारा भूमि का प्रतिकर बढ़ाया जाता है, तो उसे आवंटियों को अनुपातिक रूप से वहन करना होगा।
- 6.15 सम्पत्ति की रजिस्ट्री के समय निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी क्रेता/आवंटी द्वारा देय होंगे।

पंजीकरण धनराशि

- 6.16 पंजीकरण धनराशि सम्पत्ति के अनुमानित मूल्य की 5 प्रतिशत है।
- 6.16ए राज्य सरकार द्वारा घोषित एवं अभिकरण द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी में आने वाले आवेदकों के लिए पंजीकरण धनराशि अनुमानित मूल्य की 2.50 प्रतिशत होगी।
- 6.16बी उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वी.ति का आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 01 माह में मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि (जमा धनरोहर राशि को समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
7. कामर्शियल कम आफिस काम्पलैक्स में शोरूम/दुकान/आफिस, पेट्रोल पम्प भूखण्ड, हॉस्पिटल भूखण्ड, एवं व्यवसायिक भूखण्ड को बन्धक रखने का प्राविधान
- 7.1 आवंटी को बरेली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति (N.O.C) प्राप्त करते हुए ऋण लेने पर सम्पत्ति को बन्धक रखने का अधिकार होगा।
- 7.2 आवंटन पत्र की मूल प्रति को ही लोन हेतु अनापत्ति पत्र माना जायेगा।

8. सम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरण हेतु सामान्य शर्तें-

- 8.1 कामर्शियल कम आफिस काम्पलैक्स में शोरूम/दुकान/आफिस का कब्जा जहाँ है जैसा है के आधार पर दिया जायेगा।
- 8.2 आवंटित सम्पत्ति का कब्जा आवंटी द्वारा शोरूम/दुकान/आफिस के मूल्य की समस्त धनराशि एवं कुल मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड धनराशि व प्रचलित दस्तावेज शुल्क आदि की अदायगी के उपरान्त देय स्टाम्प ड्यूटी पर

विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के उपरान्त दे दिया जायेगा। विक्रय विलेख पंजीकृत कराने के एक माह में कब्जा न लेने पर रूपये 300/- प्रतिमाह चौकीदारी शुल्क देय होगा। कब्जा उपरान्त तत्समय प्रचलित अनुरक्षण शुल्क देय होगा जब तक योजना नगर निगम को हस्तारित नहीं होती है।

- 8.3 निबन्धन इत्यादि में आने वाले समस्त व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- 8.4 यदि किसी अपरिहार्य परिस्थिति/कतिपय कारणों से प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति की रजिस्ट्री करना अथवा कब्जा देना सम्भव नहीं हो पाता है तो इन परिस्थितियों में प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त करते हुए कुल जमा धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज के आवंटी को वापस कर दी जायेगी। ऐसी स्थिति में आवंटी किसी न्यायालय या जिला उपभोक्ता फोरम में क्षति का दावा नहीं करेगा।
- 8.5 आवंटित सम्पत्ति का आवंटी बरेली विकास प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई उपखण्ड नहीं कर सकता।

9. फ्री-होल्ड शुल्क व लीज होल्ड शुल्क

- 9.1 प्राधिकरण द्वारा आवंटित सम्पत्ति आवासीय एवं व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स में शोरूम, दुकान/ऑफिस एवं व्यवसायिक भूखण्ड का निबन्धन फ्री-होल्ड के रूप में किया जायेगा। फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में सम्पत्ति के मूल्य(लोकेशन चार्ज सहित) का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड चार्ज आवंटन पत्र जारी होने से एक माह के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा। यदि 01 माह में फ्री-होल्ड चार्ज जमा नहीं किया जाता है, तो 11 प्रतिशत ब्याज सहित निबन्धन से पूर्व किसी भी समय जमा किया जा सकेगा।
- 9.2 स्कूल/हॉस्पिटल भूखण्ड का निबन्धन लीज होल्ड के रूप में किया जायेगा तथा लीज रेंट शुल्क के रूप में सम्पत्ति के मूल्य(लोकेशन चार्ज सहित) का 10 प्रतिशत लीज रेंट चार्ज आवंटन पत्र जारी होने से एक माह के अन्दर प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा। यदि 01 माह में लीज रेंट चार्ज जमा नहीं किया जाता है, तो 11 प्रतिशत ब्याज सहित निबन्धन से पूर्व किसी भी समय जमा किया जा सकेगा।

10. परित्याग

- 10.1 यदि सर्वोच्च बोली/निविदादाता नीलामी प्रक्रिया के पश्चात् परन्तु आवंटन धनराशि जमा करने से पूर्व भूखण्ड लेने की अनिच्छा प्रकट करता है, तो धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 10.2 आवंटन धनराशि जमा करने के उपरान्त सम्पत्ति परित्याग करने पर धरोहर धनराशि एवं आवंटन धनराशि जब्त करते हुए, अतिरिक्त जमा धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

11. निरस्तीकरण

- 11.1 देय किशतों की धनराशि को समय से जमा न करने पर, डिफाल्टर होने की दशा में आवंटन रद्द कर दिया जायेगा तथा आवंटी को बिन्दु सं०-10.2 के अनुसार कटौती कर अवशेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 11.2 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपायी गई पायी जाती है तो उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को पूर्ण अधिकार होगा कि आवंटन/निबन्धन निरस्त कर दे तथा आवंटी द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण धनराशि को जब्त कर ले। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही प्राधिकरण जो उचित समझे, की जा सकती है।

- 11.3 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन0जी0टी0)/प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा भूखण्ड के मद में जमा समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

12. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में

यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है तो उसको आवंटित सम्पत्ति उसके विधिक उत्तराधिकारी को शासनादेशानुसार आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। अन्य नियम व शर्तें यथावत रहेंगी।

13. उपयोग

- 13.1 परिसम्पत्ति जिस प्रयोजन से आवंटित की गयी है, उसके लिये ही उपयोग किया जायेगा अन्यथा उपयोग करने की दशा में आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण में निहित होगा।
- 13.2 आवंटी केवल आवंटित क्षेत्रफल का ही प्रयोग करेगा इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रफल पर किसी भी प्रकार की गतिविधि अनुमत्य नहीं होगी। यदि आवंटी उक्त का उल्लंघन करता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 13.3 आवंटियों को बिजली तथा पानी का कनेक्शन स्वयं अपने नाम पर व अपने व्यय पर सम्बन्धित विभागों से लेना होगा।
- 13.4 आवंटी, परिसम्पत्ति तथा उसके प्रवेश एवं साड़ी सुविधाओं को साफ सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
- 13.5 यह कि आवंटी अपनी सम्पत्ति का कूड़ा आदि रास्ते में किसी जगह गिराये बिना उस स्थान पर डाला जायेगा जो इसके लिए आरक्षित की गई हो। कूड़ादान या कचरा रास्ते में नहीं रखा जायेगा।

14. अनुरक्षण व्यय एवं कर आदि की देयता :-

- 14.1 योजना जब तक नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं हो जाती है, तब तक कामर्शियल कम आफिस काम्प्लैक्स में शोरूम/दुकान पर अनुरक्षण शुल्क के रूप में व्यवसायिक सम्पत्तियों हेतु निश्चित की गयी धनराशि रू0-15.45 प्रति वर्गमी0 तथा आफिस हेतु अनुरक्षण शुल्क 11.59 प्रति वर्गमी0 की दर से तथा जिन भूखण्डों पर कब्जा लेने के बाद आवंटियों द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया गया है उन आवंटियों से उक्त दर का 25 प्रतिशत प्रतिमाह अनुरक्षण के रूप में आवंटियों द्वारा बरेली विकास प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी। समय-समय पर अनुरक्षण शुल्क की पुनरीक्षित दरें आवंटी को स्वीकार होगी।
- 14.2 आवंटित सम्पत्ति के सम्बन्ध में नगर निगम अथवा किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर व देय जी0एस0टी0 का भुगतान आवंटी को स्वयं करना होगा।
15. अन्य सामान्य नियम एवं शर्तें
- 15.1 भूखण्डों की स्थिति, क्षेत्रफल एवं विकास कार्य पूरा होने का समय अनुमानित है, इनमें कभी भी परिवर्तन किये जा सकते हैं।
- 15.2 परिसम्पत्ति का आवंटन उच्चतम् बोली/निविदा को प्रचलित सिद्धान्त पर "जहाँ है जैसा है" के अन्तर्गत किया जायेगा।

- 15.3 आवंटित भूखण्ड के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण कब्जा देने में विलम्ब होता है, तो आवंटी को बिन्दु सं०-8.4 के अनुसार धनराशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। अन्य किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
- 15.4 उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को विक्रय विलेख में उल्लिखित सभी शर्तें स्वीकार होंगी एवं भविष्य में शासन द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुपालन करना होगा।
- 15.5 उपरोक्त शर्तों में बिना पूर्व सूचित किये परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण को होगा।
- 15.6 आवंटन के सम्बन्ध में बरेली विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किए गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन भी लागू एवं मान्य होंगे।
- 15.7 आवंटी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले पत्र व्यवहार में पंजीकरण संख्या (फार्म संख्या) तथा सम्पत्ति श्रेणी अवश्य लिखा जाना चाहिए।
- 15.8 डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना बरेली विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।
- 15.9 सभी देय राशि भू-राजस्व के बकाया के रूप में आवंटी से वसूल की जा सकती है।
- 15.10 नीलामी समिति के अध्यक्ष को बिना कारण बताये नीलाम की जा रही सम्पत्ति को नीलामी से हटाने/स्थगित (निरस्त) करने का अधिकार होगा।
- 15.11 किसी भी विषय में विवाद पर उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली का निर्णय अन्तिम होगा। उन्हें अपने विवेकानुसार इन शर्तों में अथवा किसी स्थान पर एतद् विषयक किसी भी शर्त/नियम को किसी भी समय शिथिल/संशोधित करने का अधिकार होगा, जो कि उच्चतम बोली/निविदादाता/आवंटी को मान्य होगा।
- 15.12 किसी भी वाद-विवाद का परिक्षेत्र बरेली होगा।
- 15.13 पंजीकरण हेतु धरोहर धनराशि पंजाब नेशनल बैंक शाखा राजेन्द्रनगर, बरेली खाता संख्या 1870000100501258 IFSCकोड PUNB0187000 में जमा करनी होगी।
- 15.14 विवरण पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र (संलग्नक-2) पूर्ण रूपेण भरें। जमानत/धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट/पे आर्डर/बैंकर्स चैक "सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली" के पक्ष में देय होगा तथा विवरण पुस्तिका में संलग्न शपथ-पत्र (संलग्नक-4) के प्रारूप को रू०-10/- के स्टाम्प पर अंकित करते हुए नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करा कर व संलग्नक-6 का प्रमाण पत्र भरकर आवेदन-पत्र के साथ संलग्न कर नियत तिथि में समस्त संलग्नकों सहित प्राधिकरण कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में डाले।
16. कॉमर्शियल कम ऑफिस कॉम्प्लैक्स में शोरूम/दुकान/आफिस हेतु आवंटी को दी जाने वाली सुविधायें।
- 16.1 भूतल की दुकान/शोरूम के फर्श में मात्र पी०सी०सी० का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया गया है एवं अन्य फिनिशिंग आदि का कार्य आवंटी को अपने व्यय पर स्वयं कराना होगा।
- 16.2 प्रथम तल के दुकानों के फर्श का कार्य आवंटी को अपने व्यय पर स्वयं कराना होगा।
- 16.3 विद्युतीकरण हेतु कन्ड्यूट पाईप प्राधिकरण द्वारा डाली गई है। शेष कार्य आवंटी को अपने व्यय पर स्वयं कराना होगा।

- 16.4 व्यवसायिक केन्द्र में लिफ्ट की सुविधा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।
- 16.5 व्यवसायिक केन्द्र के परिसर में सीमेन्ट कन्क्रिट पार्किंग का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। जो प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
- 16.6 व्यवसायिक कॉम्प्लैक्स में बरामदा एवं कॉमन एरिया के फर्श में कोटा स्टोन का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया गया है। कॉमन एरिया में कोई भी आवंटी किसी भी प्रकार का कोई भी अतिक्रमण नहीं करेगा और न ही इस पर किसी भी आवंटी का स्वामित्व/अधिकार होगा।
- 16.7 परिसर में अपनी दुकानों में विद्युत संयोजन का कार्य आवंटी द्वारा अपने व्यय पर स्वयं कराना होगा।

17. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख/प्रमाण-पत्र

आवेदन पत्र के साथ निम्न अभिलेख/प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है :-

- 17.1 संलग्नक-5 पर दिया गया शपथ-पत्र रू0-10/- के स्टाम्प पेपर पर टंकित कराकर नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित तथा संलग्नक-2 पर दिया गया आवेदन फार्म पूर्ण करते हुए निविदा बॉक्स में संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि व समय पर डालना होगा। संलग्नक-3 पर दिया गया आवेदन फार्म खुली नीलामी के समय संलग्नक-1 में उल्लिखित तिथि व समय पर प्रस्तुत करना होगा।
- 17.2 आवेदित भूखण्ड के सापेक्ष संलग्नक-1 के विवरण के अनुसार देय धरोहर धनराशि का "सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली" के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट/पे-आर्डर/बैंकर्स चैक।
- 17.3 आवेदन फार्म में दिये गये विवरण के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां।
- 17.4 विवरण पुस्तिका के नियम व शर्तों की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 17.5 रू0-30/- का डाक टिकट लगा हुआ स्वपता लिखा लिफाफा।
- 17.6 आवेदन फार्म तथा इसके साथ संलग्न किये जाने वाले समस्त प्रपत्र आवेदक द्वारा स्वहस्ताक्षरित होने चाहिए।
- 17.7 उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली को बिना कोई कारण बताए उपरोक्त में से किसी भी सम्पत्ति को निविदा/नीलामी से हटाने/स्थगित करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

उपाध्यक्ष,

बरेली विकास प्राधिकरण,

सेक्टर-02, रामगंगा नगर आवासीय योजना, बरेली

टोल फ्री नं0-9568006429

e-mail : bdabareilly@gmail.com

blyda@nic.in

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली



संलग्नक - 1

निविदा-सह-नीलामी से रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में कामर्शियल काम्प्लैक्स, कॉमर्शियल कम ऑफिस काम्प्लैक्स में शोरूम/आफिस एवं स्कूल भूखण्ड, व्यवसायिक भूखण्डों, गुप हाउसिंग भूखण्डों, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्डों व दुकान भूखण्डों तथा आवासीय भूखण्डों हेतु निविदा-सह-नीलामी पद्धति के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :

आवेदन की तिथि - 01.06.2026 से 22.06.2026 तक व निविदा दिनांक 23.06.2026 समय दोपहर 12 बजे तक
नीलामी तिथि व समय - 23.06.2026 । दोपहर 12 बजे से

निविदा / नीलामी हेतु स्थान - बरेली विकास प्राधिकरण सेक्टर-2 रामगंगा नगर आवासीय योजना, बरेली
रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना के विभिन्न सेक्टरों में कॉमर्शियल काम्प्लैक्स, कॉमर्शियल कम ऑफिस काम्प्लैक्स में शोरूम/आफिस एवं स्कूल भूखण्ड, व्यवसायिक भूखण्डों, गुप हाउसिंग भूखण्डों, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूखण्डों व दुकान भूखण्डों तथा आवासीय भूखण्डों का विवरण -

1- कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स ब्लॉक-ए शोरूम (भूतल)						
क्र०सं०	शोरूम नं०	कार्पेट एरिया (वर्गमी०)	रिक्त सम्पत्तियों का विवरण	मूल्य प्रति वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण घनराशि
1	1	150.63	1	121700.00	18331671.00	918835.00
2	2	147.82	1	121700.00	17989694.00	918835.00
3	3	147.82	1	121700.00	17989694.00	918835.00
4	4	147.45	1	121700.00	17944665.00	918835.00
5	5	149.85	1	121700.00	18236745.00	918835.00
6	6	148.04	1	121700.00	18016468.00	918835.00
7	7	148.04	1	121700.00	18016468.00	918835.00
8	11	147.82	1	121700.00	17985694.00	918835.00
9	12	148.02	1	121700.00	18014034.00	918835.00

कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स ब्लॉक-ए ऑफिस (प्रथम तल)						
क्र०सं०	ऑफिस नं०	कार्पेट एरिया (वर्गमी०)	रिक्त सम्पत्तियों का विवरण	मूल्य प्रति वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण घनराशि
1	1	111.47	1	75050.00	8365824.00	420280.00
2	4	110.48	1	75050.00	8291524.00	420280.00
3	5	102.14	1	75050.00	7665607.00	420280.00
4	6	101.34	1	75050.00	7605567.00	420280.00
5	7	103.33	1	75050.00	7754917.00	420280.00
6	8	102.97	1	75050.00	7727899.00	420280.00
7	9	101.09	1	75050.00	7586805.00	420280.00
8	10	110.10	1	75050.00	8263005.00	420280.00
9	11	101.76	1	75050.00	7586805.00	420280.00
10	12	101.09	1	75050.00	7586805.00	420280.00

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

2- कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स ब्लॉक-सी शोरूम (भूतल)						
क्र०सं०	शोरूम नं०	कार्पेट एरिया (वर्गमी०)	रिक्त सम्पत्तियों का विवरण	मूल्य प्रति वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि
1	7	72.00	1	121700.00	8762400.00	438120.00
2	8	72.00	1	121700.00	8762400.00	438120.00
3	3	72.00	1	121700.00	8762400.00	438120.00

कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स ब्लॉक-सी ऑफिस (प्रथम तल)						
क्र०सं०	शोरूम नं०	कार्पेट एरिया (वर्गमी०)	रिक्त सम्पत्तियों का विवरण	मूल्य प्रति वर्ग मी०	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि
1	1	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00
2	2	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00
3	3	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00
4	4	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00
5	10	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00
6	11	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00
7	12	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00
8	13	72.00	1	75050.00	5403600.00	270180.00

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली



क्रम सं०	सेक्टर	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मी० में)	रिक्त सम्पत्तियों की संख्या	दर प्रति वर्ग मीटर रू०	धरोहर धनराशि (5 प्रतिशत)
3	सेक्टर-6	व्यवसायिक भूखण्ड	2887.73	1	76300.00	11016690.00
4	8-शिप्रा इक्लेव	दुकान भूखण्ड सं० 8,11, 11A, 12	35.00	4	76300.00	133525.00
		हाईस्कूल भूखण्ड	2216.34	1	38150.00	4227669.00
		नर्सिंग होम, जी-1 जी-3	1000.00	2	57225.00	2861250.00
		हेल्थ सेन्टर, जी-2	1000.00	1	38150.00	1907500.00
5	10-सरयू इक्लेव	स्कूल भूखण्ड	2154.84	1	38150.00	4110358.00
6	11-पंचवटी इक्लेव	व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 15 से 26 तक	200.00	12	76300.00	763000.00
		व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 2,3,7,11,12,13,14	150.00	7	76300.00	572250.00
		व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 1 से 5 तक	112.50	5	76300.00	429188.00
		व्यवसायिक भूखण्ड संख्या- 24 से 38, 42 से 49, 52 से 55	60.00	27	76300.00	228900.00
7	12-इन्द्रप्रस्थ इक्लेव	पब्लिक यूटिलिटी भूखण्ड सं०- 7 से 12 तक	450.00	6	57225.00	1287563.00
		ऑफिस कम गेस्ट हाउस कम ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड	10442.30	1	57225.00	29878031.00
		ऑफिस कम गेस्ट हाउस कम ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड	10233.49	1	57225.00	29280574.00
8	1बी-ग्रेटर बरेली	व्यवसायिक भूखण्ड CP 1/3 से CP 1/8 तक	532.45	6	65000.00	1730463.00
9	2ए-ग्रेटर बरेली	व्यवसायिक भूखण्ड CP-1, 3	460.00	2	65000.00	1495000.00
10	2ए-ग्रेटर बरेली 18 मीटर से अधिक चौड़ी रोड पर	आवासीय भूखण्ड सं. 23,42,110ए,112,113,120	200.00	6	32500.00	650000.00
		आवासीय भूखण्ड सं. 37,57,59,64,65	162.00	5	32500.00	526500.00
		आवासीय भूखण्ड सं. 249, 262	112.50	2	32500.00	365625.00
11	सेक्टर-4 ग्रेटर बरेली	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (PSP) भूखण्ड सं. 1	7083.00	1	48750.00	17264813.00
		व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : CP1/5,6,8 से CP1/20 तक	450.00	13	65000.00	1462500.00
		व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : बी	4106.62	1	65000.00	13346515.00
		व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : CP2/1 से CP2/9 तक व CP2/12,13,14	300.00	12	65000.00	975000.00
		व्यवसायिक भूखण्ड संख्या : CP4/1 से CP4/6 तक	275.00	6	65000.00	893750.00
12	सेक्टर-9 ग्रेटर बरेली	ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड -1	14794.72	1	48750.00	36062130.00
		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड -2, 3	17101.62	2	48750.00	41685199.00
		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड -4	19165.79	1	48750.00	46716614.00
		ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड -5, 6, 7, 8	6000.00	4	48750.00	14625000.00

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

डी0डी0 पुरम स्थिति पुराना प्राधिकरण कार्यालय भवन को नीलामी के माध्यम से विक्रय करने का विवरण।

क्र0सं0	तल की स्थिति	तल का क्षेत्रफल वर्ग0मी0 में	छर प्रति वर्ग0मी0 में	धरोहर धनराशि 5 प्रतिशत
1	प्रथमतल	709.32	79250	2810681
2	द्वितीय तल	283.38	79250	1122894
3	तृतीय तल	709.32	79250	2810681

रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-02 में कॉमर्शियल काम्पलैक्स (कॉमर्शियल) का विवरण

क्र0 सं0	विवरण	विक्रय योग्य क्षेत्रफल कवर्ड	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित दर (वर्ग0 मी0) में	कुल मूल्य	धरोहर धनराशि (5 प्रतिशत)
1	रामगंगानगर आवासीय योजना सेक्टर-02 कॉमर्शियल काम्पलैक्स	9834.37	कॉमर्शियल काम्पलैक्स	110000	1081780700	54098035

व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु धरोहर धनराशि 5 प्रतिशत आरक्षित की गयी है।

रिक्त सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

पंजीकरण खोले जाने की दिनांक 01.06.2026 से 22.06.2026 तक

नीलामी की तिथि एवं समय -23.06.2026 को दोपहर 12:00 बजे से

निविदा तिथि व समय- 23/06/2026 दोपहर 12 बजे तक

निविदा/नीलामी हेतु स्थान-रामगंगानगर आवासीय योजना के सेक्टर-2 में नवीन प्राधिकरण कार्यालय में।

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली



संलग्नक-2

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

(निविदा-सह-नीलामी पद्धति से परिसम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)
(निविदा प्रपत्र सीलबन्द लिफाफे में जमा करें)

नवीनतम
फोटो

1. निविदा हेतु सम्पत्ति का विवरण –
 - (अ) योजना का नाम.....
 - (ब) शोरूम/दुकान/आफिस/भूखण्ड का प्रकार.....(स) सेक्टर.....
 - (द) शोरूम/दुकान/आफिस/भूखण्ड सं०-.....(य) क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री
4. आवेदक की आयु.....वर्ष, लिंग.....
5. स्थायी पता.....
- 5.1 पत्राचार का पता.....
- 5.2 मोबाईल नम्बर ई-मेल
6. भुगतान कोड..... डाउन पेमेन्ट पद्धति..... किश्तों में भुगतान पद्धति.....
7. व्यवसाय.....
8. प्रस्ताव स्वयं/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा दिया गया है (उल्लेख करें)
- 8.1 यदि प्रस्ताव कम्पनी/सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा दिया गया है तो कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का अधिकार पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन पत्र भी संलग्न करना होगा।
9. अधिकार पत्र हेतु प्रस्तावित नाम एवं सत्यापित हस्ताक्षर :-

नाम	सत्यापित हस्ताक्षर
1.....	1.....
2.....	2.....
10. आवेदक का बैंक खाता संख्या आई0एफ0एस0 कोड.....
बैंक का नाम शाखा
11. धरोहर धनराशि का विवरण- बैंक ड्राट/बैंकर्स चेक्स/पे-आर्डर संख्या..... दिनोंक.....
धनराशि अंकन रूपये..... जारीकर्ता बैंक का नाम.....
12. आवेदक द्वारा आवेदित भूखण्ड के लिये आरक्षित दर के सापेक्ष दी गयी दर.....रूपयेप्रति
वर्गमीटर (शब्दों में) रूपये प्रति वर्गमीटर
प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करायी गयी नियम-शर्तों का निविदादाता ने अध्ययन कर लिया है, जो निविदादाता को मान्य है।

आवेदन की तिथि.....

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक-3

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

निविदा-सह-नीलामी पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)
(नीलामी (बोली) पद्धति से सम्पत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र)

नवीनतम
फोटो

1. नीलामी की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण –
(अ) योजना का नाम.....
(ब) शोरूम/दुकान/आफिस/भूखण्ड का प्रकार.....(स) सेक्टर.....
(द) शोरूम/दुकान/आफिस/भूखण्ड सं०-.....(य) क्षेत्रफल.....वर्ग मीटर
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
(अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में).....
3. आवेदक के पिता/पति का नाम श्री
4. आवेदक की आयु.....वर्ष, लिंग.....
5. स्थायी पता.....
.....
- 5.1 पत्राचार का पता.....
.....
- 5.2 मोबाईल नम्बर ई-मेल
6. भुगतान कोड..... डाउन पेमेन्ट पद्धति..... किशतों में भुगतान पद्धति.....
7. व्यवसाय.....
8. प्रस्ताव स्वयं/कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट द्वारा दिया गया है (उल्लेख करें)
- 8.1 यदि प्रस्ताव कम्पनी/सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा दिया गया है तो कम्पनी/सोसायटी/ट्रस्ट का अधिकार पत्र के साथ रजिस्ट्रेशन पत्र भी संलग्न करना होगा।

9. अधिकार पत्र हेतु प्रस्तावित नाम एवं सत्यापित हस्ताक्षर :-

नाम	सत्यापित हस्ताक्षर
1.....	1.....
2.....	2.....

10. आवेदक का बैंक खाता संख्या आई0एफ0एस0सी0 कोड.....
बैंक का नामशाखा
11. धरोहर धनराशि का विवरण- बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक्स/पे-आर्डर संख्या..... दिनोंक.....
धनराशि अंकन रुपये.....जारीकर्ता बैंक का नाम.....

आवेदन की तिथि.....

आवेदक के हस्ताक्षर

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली



संलग्नक-4 (व्यवसायिक सम्पत्ति हेतु)

“रु0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी/मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराकर प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप”

“शपथ-पत्र”

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी.....पिता/पति का नाम श्री.....
तथा व्यवसाय का विवरणआयुपूर्ण पता

- मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ। कि मैं बरेली विकास प्राधिकरण की योजना में.....श्रेणी के भूखण्ड सं0-..... सेक्टर/खण्ड..... हेतु निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र के साथ आरक्षित धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक संलग्न करते हुए आवेदन कर रहा हूँ/कर रही हूँ। जिस हेतु यह शपथ-पत्र प्रेषित कर रहा/रही हूँ।
1. यह कि मैं व्यस्क हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है।
 2. यह कि मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने बरेली विकास प्राधिकरण की उपर्युक्त योजना से सम्बन्धित नियमों को पढ़ लिया है, मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी।
 3. यह कि मैं भारत का मूल निवासी हूँ तथा मेरी नागरिकता भारतीय है।
 4. यह कि यदि मैं आवंटित सम्पत्ति का आवंटन स्वीकार नहीं करता/करती हूँ तब मैं बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमों के अधीन की गई कटौतियों को स्वीकार करूँगा/करूँगी।
 5. यह कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित की गयी सम्पत्ति मुझे प्रत्येक परिस्थितियों में स्वीकार होगी तथा मुझे इस पर किसी भी प्रकार की आपत्ति/विवाद नहीं होगा।
 6. यह कि यदि शपथकर्ता अवशेष धनराशि का भुगतान नहीं करता है तो अवशेष बकाया की वसूली ब्याज सहित भू-राजस्व बकाया की वसूली की भाँति जिलाधिकारी बरेली के माध्यम से की जा सकती है।
 7. यह कि मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मैंने स्वयं के सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण प्राधिकरण को दिये हैं, तो प्राधिकरण को मेरे विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार होगा, जो प्राधिकरण उपयुक्त समझें।
 8. यह कि मैं वचन देता हूँ कि मेरा यह शपथ-पत्र गलत पाया जाता है तो मेरा आवंटन निरस्त कर दिया जाए तथा जमा की गयी समस्त धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जाये।
 9. यह कि मैं वचन देता/देती हूँ कि प्रपत्र में अंकित सम्पत्ति के वर्तमान योजना में प्रस्तावित उपयोग के अनुसार ही मैं सम्पत्ति का उपयोग करूँगा/करूँगी।
 10. यह कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा उपर्युक्त योजना के लिए भविष्य में जो भी नियम लागू किये जायेंगे, वह मुझे मान्य होंगे।
 11. यह कि आवंटित सम्पत्ति के कब्जा देने में यदि भूमि अर्जन सम्बन्धी अथवा अन्य न्यायिक प्रक्रिया के कारण अथवा अन्य किसी अपरिहार्य कारण से देरी होती है तो मुझे इस बिन्दु के आधार पर क्षतिपूर्ति की माँग करने का अधिकार नहीं होगा।
 12. यह कि मैं यह भी स्वीकार करता/करती हूँ कि सम्पत्ति का रख-रखाव तथा उसे सुन्दर व स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं ही सम्पत्ति के सम्पत्ति कर अथवा अन्य जो भी कर देय होंगे, उनके देने हेतु उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। जब तक मैं सम्पत्ति की समस्त धनराशि व कर के धन का पूर्ण भुगतान न कर दूँगा/दूँगी, प्राधिकरण के सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करता रहूँगा/रहूँगी।
 13. यह कि मैं यह भी घोषित करता हूँ/करती हूँ कि जब तक सम्पत्ति की समस्त बकाया व करों का पूर्णरूप से भुगतान न कर दूँ मुझे सम्पत्ति बेचने या गिरवी रखने का अधिकार न होगा तथा सम्पत्ति पर कोई अन्य निर्माण कार्य प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी की आज्ञा के बिना मैं नहीं करूँगा/करूँगी और न ही सम्पत्ति की अनुमन्य उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोग में लाऊँगा/लाऊँगी।
 14. यह कि सम्पत्ति का वर्तमान मूल्य अन्तरिम है। यदि प्रतिकर बढ़ने से या विकास कार्य मूल्य बढ़ने से सम्पत्ति की कीमत बढ़ जाती है तब उस स्थिति में शपथकर्ता बढ़े हुए मूल्य को देने का पाबंद रहेगा और इस विषय में किसी मा0 न्यायालय या उपभोक्ता फोरम में विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद योजित नहीं करेगा।

इस शपथ-पत्र के पैरा-1 से 14 मेरे व्यक्तिगत ज्ञान से सत्य है इनमें से कुछ भी झूठ नहीं है एवं न ही कुछ छिपाया गया है।
ईश्वर मेरी सहायता करें।


(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

घोषणा : इस शपथ पत्र का सत्यापन आज दिनांक को स्थान पर किया गया।

(शपथकर्ता के हस्ताक्षर)

नीलामी की नियम व शर्तें :-नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में भी अंकित हैं।

1. नियत नीलामी तिथि को अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस में निविदा सह नीलामी की प्रक्रिया की जायेगी।
2. भूखण्डों को निविदा सह/नीलामी से विक्रय किये जाने हेतु नियम व शर्तों का विवरण/पंजीकरण पुस्तिका/आवेदन फार्म पंजाब नेशनल बैंक राजेन्द्र नगर बरेली से रू0-590.00 (जी.एस.टी.सहित) जमा कराकर प्राप्त किये जा सकेगा एवं बरेली विकास प्राधिकरण की वेब साईट www.bdainfo.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किये गये प्रपत्रों हेतु धरोहर धनराशि के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य रू0-590.00 अतिरिक्त जमा करना होगा।
3. उक्त आवंटन निविदा-सह-नीलामी पद्धति पर किया जायेगा। निविदा से प्राप्त होने वाली दरों को नीलामी के उपरान्त खोला जायेगा।
4. उच्चतम बोलीदाता/निविदादाता को बोली अथवा निविदा की स्वीकृति का पत्र जारी होने की दिनांक से एक सप्ताह में नीलामी मूल्य का 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि (जमा धनरोहर राशि को समायोजन करते हुए) प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा तत्पश्चात ही सम्पत्ति का आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।
5. आवंटन पत्र जारी होने से एक माह के अन्दर आवंटी द्वारा फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में भूमि के मूल्य (लोकेशन चार्ज सहित) का 12 प्रतिशत धनराशि फ्री-होल्डचार्ज प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा। यदि 01 माह में फ्री-होल्ड जमा नहीं किया जाता है, तो ब्याज सहित निबन्धन से पूर्व किसी भी समय जमा किया जा सकेगा।
6. धनराशि आवंटन पत्र के अनुसार जमा न किये जाने पर आवंटन निरस्त किया जायेगा और सम्पत्ति हेतु जमा करायी गयी आवंटन धनराशि जब्त कर ली जायेगी। आवंटन धनराशि से अतिरिक्त जमा राशि को बिना ब्याज के वापस किया जा सकेगा।
7. भूखण्ड की रजिस्ट्री के समय सम्पत्ति पर लोकेशन चार्ज, कार्नर भूखण्ड होने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त शुल्क देय होंगे।
8. निविदाता नीलामी के तिथि से एक दिन पूर्व तक आवेदन फार्म वांछित धरोहर धनराशि पंजाब नेशनल बैंक, शाखा राजेन्द्र नगर, बरेली में जमा कर सकता है, तथा फार्म जमा करने के उपरान्त अगले दिन/कार्य दिवस में प्राधिकरण कार्यालय से टोकन प्राप्त कर सकता है और नीलामी की तिथि को वांछित धरोहर धनराशि सहित आवेदन पत्र प्रक्रिया में प्रतिभाग करना होगा।
9. निविदा के माध्यम से दरें नीलामी तिथि तक नीलामी से एक दिन पूर्व तक दी जा सकेंगी। उसके उपरान्त प्राप्त होने वाली किसी भी निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. निविदा के माध्यम से प्राप्त होने वाली दरों को नीलामी प्रक्रिया के समापन उपरान्त खोली जायेगी। निविदा सह नीलामी से प्राप्त होने वाली अधिकतम दरों पर ही विचार किया जायेगा।
11. असफल निविदाताओं/नीलामीकर्ताओं की जमा धनराशि को 01 माह के अन्दर वापस किया जायेगा जिस पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।
12. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, बरेली को बिना कारण बताएँ उपरोक्त में से किसी भी सम्पत्ति को निविदा/नीलामी से हटाने/स्थगित करने/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।



NOTE :-
1- Set backs and coverage are allowed as per by-laws.

BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY, BAREILLY



PROPOSED REVISED PART LAYOUT
PLAN SECTOR-2 OF RAMGANGA
NAGAR, AWASIYA YOJNA BAREILLY.


बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली




सुखे जगते जीवाम् शोभते

8.7





बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली



AREA STATEMENT

TOTAL LAND AREA	122177.92 Sqm.
AREA UNDER RESIDENTIAL	41942.99 Sqm.
AREA UNDER DWB	3775.53 Sqm.
AREA UNDER MULTY STORY	4200.99 Sqm.
AREA UNDER PLOTS	17395.68 Sqm.
AREA UNDER ROAD	8107.77 Sqm.
AREA UNDER COMMERCIAL	80235.53 Sqm.
AREA UNDER PARK/PARKING	(2337.36 + 5105.13) = 7442.49
AREA UNDER COMMERCIAL PLOTS	47951.87 Sqm.
AREA UNDER HOTEL	2012.20 Sqm.
AREA UNDER COMMERCIAL PARCEL	7398.10 Sqm.
AREA UNDER SHOWROOM	600.00 Sqm.
AREA UNDER PETROL PUMP	2291.67 Sqm.
AREA UNDER GARAGE COLLECTION CLINIC	2147 Sqm.
AREA UNDER TOILET	87.51 Sqm.
AREA UNDER ROAD	7634.14 Sqm.

COMMERCIAL PROPERTY DETAILS:

LEGEND	NO. OF PLOTS	AREA (SQM.)	PLOT SIZE	NO. OF NOS.
TYPE-A	200-00	10.00 ML x 30.00 ML	70 Nos.	
TYPE-B	150-00	10.00 ML x 15.00 ML	31 Nos.	
TYPE-C-1	112.50	7.50 MT x 15.00 ML	14 Nos.	
TYPE-C-2	60.00	6.00 ML x 10.00 MT	163 Nos.	
COMMERCIAL CP-1	544.09	Sqm.	01 Nos.	
COMMERCIAL CP-2	534.09	Sqm.	01 Nos.	
COMMERCIAL CP-3	537.71	Sqm.	01 Nos.	
COMMERCIAL CP-4	986.74	Sqm.	01 Nos.	
COMMERCIAL CP-5	709.41	Sqm.	01 Nos.	

RESIDENTIAL PROPERTY DETAILS:

LEGEND	NO. OF PLOTS	AREA (SQM.)	PLOT SIZE	NO. OF NOS.
TYPE-D	162.00	9.00 ML x 10.00 ML	74 Nos.	
TYPE-E	112.50	7.50 ML x 15.00 ML	42 Nos.	

**REVISED LAYOUT PLAN OF PANCHIWATI ENCLAVE, SECTOR-II
RAMGANGA NAGAR YOJNA, BAREILLY.**

NORTH
SCALE

J.E.(P/A) _____
 J.I.(CONS.) _____
 E.R.C.T.P. _____
 A.L.(CONS.) _____
 SFC _____
 V.C. _____

बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली



एनिए नम्बर-800/2019/स.स.आ.आ.04/21
 सीपीडी दिनांक-07/08/2019
 स्थानिक स्वशासन विभाग-05/02/20
 डीएम दिनांक-06/08/2019

GREATER BAREILLY AWASIYA YOJNA, SECTOR-04

TOTAL LAND AREA
 AREA UNDER COMMERCIAL LAND USE (C-3-SUB CITY CENTRE) AS PER MASTER PLAN, 2021: 20382.06
 AREA UNDER BAREILLY MASTER PLAN-2021 GREEN BELT: 50799.34
 AREA UNDER PETROL PUMP: 20990.75
 AREA UNDER 100' WIDE SERVICE ROAD: 1352.96
 NET LAND AREA FOR BEST PART/RESIDENTIAL PLOTS: 13271.02
 151542.10

AREA CHART FOR COMMERCIAL LAND USE (C-3-SUB CITY CENTRE) PLOTS

LEGEND	NO OF PLOTS	AREA (SQ.ME.)
COMMERCIAL PLOT-A (54.00x62.75)	1	3382.36
COMMERCIAL PLOTS (55.20x63.50)	1	3506.62
TYPE-CP COMMERCIAL PLOTS (40.00x30.00)	11	1266.00
TYPE-CP-1 COMMERCIAL PLOTS (15.00x30.00)	27	3240.00
TYPE-CP-2 COMMERCIAL PLOTS (15.00x30.00)	74	4798.74
TYPE-CP-3 COMMERCIAL PLOTS (12.00x30.00)	35	3015.00
TYPE-CP-4 COMMERCIAL PLOTS (11.00x30.00)	6	3060.00
AREA UNDER PARKING (8.00x20.00) (2.50x1.00)	79	241.50
AREA UNDER PARKING (8.00x20.00) (2.50x1.00)	3	241.50
AREA UNDER CARWASH COLLECTION CENTRE	1	150.00
AREA UNDER PARK	1	588.00
AREA UNDER ROAD	1	3855.00
TOTAL AREA		50799.34


AREA CHART FOR BEST PART/RESIDENTIAL PLOTS

LEGEND	NO OF PLOTS	AREA (SQ.ME.)
TYPE-A RESIDENTIAL PLOT (10.00 M X 20.00 M)	132	2640.00
TYPE-B RESIDENTIAL PLOT (7.50 M X 18.00 M)	130	2250.00
TYPE-C RESIDENTIAL PLOT (7.50 M X 15.00 M)	225	2925.00
COMMERCIAL PLOT (40.00x30.00)	5	2250.00
COMMERCIAL PLOT (40.00x30.00)	16	3420.00
AREA UNDER SECTOR SHOPPING	1	2016.00
AREA UNDER PUBLIC & STATE PUBLIC	1	2016.00
AREA UNDER POND	1	2490.15
AREA UNDER PARK	1	2016.00
AREA UNDER ROAD AREA	1	3855.00
TOTAL AREA		131542.10

SCALE:	NORTH	DATE:	DATE:
1:1000		01/08/2019	01/08/2019
LEKHEPATI	D/M	A.E.(C)	O.S.D.
J.E.(P)	J.E.(C)	A.T.P.	SOC.
A.E.(P)	A.E.(P)	A.E.(P)	A.E.(P)

BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY, BAREILLY
 REVISED LAYOUT PLAN OF SECTOR-4, GREATER BAREILLY AWASIYA YOJNA, BAREILLY.





NOTE: MARK-1, PUBLIC & SEMI-PUBLIC ZONE WILL BE APPLIED AS PER BUILDING BYE-LAWS
 2- ALL THE PUBLIC & SEMI-PUBLIC PLOTS WILL HAVE TO PROVIDE PARKING AS PER BUILDING BYE-LAWS



BAREILLY DEVELOPMENT AUTHORITY,
BAREILLY
 LAYOUT PLAN OF SECTOR-8A,
 SECTOR-8 (PART) GREATER BAREILLY AWASIYA
 YOJNA, BAREILLY.




SCALE:
 DATE:

LEKHPAL
 A.E.C

D/M
 O.S.D

J.E.P
 J.E.C
 C.T.P.
 SEC.

A.E.P
 A.E.P



बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली

रामगंगा नगर आवासीय योजना, सेक्टर-2, बरेली

Tel.: 0581-2303989, Fax : 0581-2301299

E-mail : bdabareilly@gmail.com

Website : www.bdainfo.org

पंजीकरण पुस्तिका शुल्क ₹ 590/- (जी.एस.टी. सहित)